प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 28-09-2021

नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹1,00,000/- का अर्थदंड की धनराशि से दण्डित किया गया।

डॉ0 यशवीर सिंह, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा अपराधियों को सजा दिलाए जाने के लिए जनपद में एक विशेष अभियान ऑपरेशन शिकंजा चलाया गया, इस अभियान के क्रम में थाना लोटन पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 1094/2017 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 अधिनियम बनाम बबलू साहनी पुत्र राजू साहनी साकिन जिगनिहवा थाना कोल्हुई जनपद महराजगंज पंजीकृत था। महोदय के आदेश पर थाना लोटन पुलिस व अभियोजन शाखा के संयुक्त प्रभावी प्रयासों के कारण मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹100000 के अर्थदंड की धनराशि का भुगतान हेतु दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड न देने पर उसे 1 वर्ष का सश्रम कारावास भुगतना से दण्डित किया जाएगा।

सराहनीय कार्य करने वाले पुलिस टीम का विवरण-

1-थानाध्यक्ष श्री अभिमन्यु सिंह, थाना लोटन जनपद सिद्धार्थनगर।
2-उ0नि0 श्री संदीप कुमार राय, थाना लोटन जनपद सिद्धार्थनगर।
3- पैरोकार मुख्य आरक्षी सुरेन्द्र प्रसाद, थाना लोटन जनपद सिद्धार्थनगर।

नोट- पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा उक्त सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम के उत्साह वर्धन हेतु 2500/- रुपए नगद पुरुस्कार दिया गया है।

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 28-09-2021

5 पड़वा व एक भैंस ,एक पड़िया का शातिर तस्कर को मोहाना पुलिस व एसएसबी की संयुक्त टीम ने दबोचा-

डॉ श्री यश वीर सिंह , पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश पर एवं श्री सुरेश चन्द रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देश पर व श्री प्रदीप कुमार यादव क्षेत्राधिकारी सदर सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्री जयप्रकाश दूबे थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियो की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 28.09.2021 को थाना मोहाना पुलिस व एसएसबी की संयुक्त टीम द्वारा मु0अ0सं0 200/2021 अन्तर्गत धारा 11 पशु क्रुरता अधिनियम के तहत एक नफर अभियुक्त को बभनी बाग रात्रि गश्त के दौरान गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

सरफुद्दीन पुत्र मकबूल सा0 मुड़िला थाना मजबेनिया जिला रुपनदेही राष्ट्र नेपाल

बरामदगी का विवरणः-

(5 पड़वा व एक भैंस ,एक पड़िया)

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरणः-

1. उ0नि0 शिवनारायण सिंह चौकी प्रभारी ककरहवा थाना मोहाना जनपद सिद्धर्थनगर
2. हे0का0 दिनेश त्रिपाठी
3. ASI सुबाष चन्द एस0एस0बी0
4. का0 विराज शाह एस0एस0बी0
5. का0 सुनील कुमार यादव एस0एस0बी0

6. का0 शंकर बी एस0एस0बी0

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 28-09-2021

***जनपद सिद्धार्थनगर में गठित एण्टी रोमियो स्क्वाड पुलिस टीम द्वारा मिशन शक्ति के अन्तर्गत जनपद के स्कूल-कॉलेज व भीड़-भाड़ वाले इलाके आदि स्थानों पर महिलाओं के साथ अभद्रता व अश्लील हरकत आदि करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की गयी।**

*डॉ0 यश वीर सिंह, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में मनचलों एवं रोमियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 28.09.2021 को प्रभारी एंटी रोमियो / शक्ति मोबाइल महिला उ0नि0 श्रीमती पूनम मौर्या द्वारा एन्टी रोमियो कार्यवाही के अन्तर्गत थाना शोहरत गढ़ व ढेबरूआ थानाक्षेत्र में आज स्कूल-कॉलेज/कोचिंग सेन्टर के पास तथा थानाक्षेत्र के आस-पास के मुख्य सड़को, चौराहों, पार्कों आदि में चेकिंग की गयी। इस दौरान 01 शोहदा पकडा गया। पकड़े गये शोहदे के विरूद्ध उचित कार्यवाही की गई। शोहदे के घर वालो से बात करने के बाद घरवालों के द्वारा पुनः गलती ना करने के आश्वाशन तथा शोहदे द्वारा माफी मांगने व भविष्य में पुनरावृत्ति ना करने के शपथ खाने के बाद चेतावनी देकर छोड़ा गया।

एण्टी रोमियों टीम का विवरण-

01- महिला उ0नि0 श्रीमती पूनम मौर्या प्रभारी एण्टी रोमियो जनपद सिद्धार्थनगर।

02- आरक्षी रामविलास एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर।

03- आरक्षी राकेश यादव एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर

04- महिला आरक्षी रीनू एण्टी रोमियो टीम जानपद सिद्धार्थनगर

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 28-09-2021

यातायात नियमों का उल्लंघन कर फर्राटा भरने वाले वाहनों/व्यक्तियों का ई-चालान व सीज करने की कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रभारी यातायात पुलिस/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है, इसी क्रम में आज दिनांक:-28-09-2021 को जनपदीय पुलिस एवं यातायात पुलिस बल द्वारा एम0वी0 एक्ट के अंतर्गत 654 वाहनों को चेक किया गया तथा कुल 129 वाहनों का चालान तथा एक वाहन को सीज कर ₹ 10,8,000/-शमन शुल्क वसूल किया गया।

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 28-09-2021

थाना कोतवाली सि0नगर पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 230/21 धारा 147 148 324 आईपीसी व 7 सीएलए एक्ट थाना व जनपद सिद्धार्थनगर से संबंधित अभियुक्तगण 1.फजल पुत्र शमशेर उम्र 22 वर्ष 2.आबिद पुत्र शमशेर 19 वर्ष निवासी आजाद नगर थाना और जनपद सिद्धार्थनगर 3.आशुतोष कुमार पुत्र गुलाब चंद उम्र 23 वर्ष निवासी काशीराम आवास थाना व जनपद सिद्धार्थनगर 4. राजकुमार पुत्र मेवालाल उम्र 20 वर्ष निवासी बेलसंड थाना और जनपद सिद्धार्थनगर को किया गया गिरफ्तार।

डॉ0 यशवीर सिंह, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में “अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान” के अन्तर्गत श्री सुरेश चन्द रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में श्री प्रदीप कुमार यादव उपाधीक्षक सदर के कुशल निर्देशन में अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा कृत कार्यवाही-

आज दिनांक 28.09.2021 को श्री कृष्ण देव सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर मय टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 230/2021 धारा 147/148/324/भादवि व 7 सी एलए एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्तो द्वारा दिनांक 27-8- 2021 को आजादनगर में दो लोगो को चाकू मार दिया गया था। मुखबिर की सूचना पर सभी अभियुक्तों को आज दिनांक 28 सितंबर 2021 को समय सुबह 11:15 बजे बांसी स्टैण्ड से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय/जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1. - फजल पुत्र शमशेर उम्र 22 वर्ष 2.आबिद पुत्र शमशेर 19 वर्ष निवासीगण आजाद नगर थाना और जनपद सिद्धार्थनगर

3.आशुतोष कुमार पुत्र गुलाब चंद उम्र 23 वर्ष निवासी काशीराम आवास थाना व जनपद सिद्धार्थनगर

4. राजकुमार पुत्र मेवालाल उम्र 20 वर्ष निवासी बेलसंड थाना और जनपद सिद्धार्थनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम –

1.नि0 श्री कृष्ण देव सिंह थाना प्रभारी थाना व जनपद सिद्धार्थनगर

2. उ0नि0 चंदन कुमार थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर जनपद सिद्धार्थनगर

3.उ0नि0 श्री अजय सिंह थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर जनपद सिद्धार्थनगर

4. थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर जनपद सिद्धार्थनगर

5. कांस्टेबल वीरेंद्र यादव व 5.कांस्टेबल कवीन्द्र चौहान

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 28-09-2021

मु0अ0सं0 199/2021 धारा 363,366 भा0द0वि0 से सम्बन्धित अपहृता को अंदर 12 घण्टे गठित टीम द्वारा किया गया बरामद

डॉ श्री यशवीर सिंह , पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश पर एवं श्री सुरेश चन्द रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देश पर व श्री प्रदीप कुमार यादव क्षेत्राधिकारी सदर सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्री जयप्रकाश दूबे थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर के कुशल नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियो की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 27.09.2021 को थाना स्थानीय पर मु0अ0स0-199/2021 धारा 363,366 भा0द0वि0 पंजीकृत था, जिसके अनावरण हेतु थाना स्थानीय से अपहृता की बरामदगी व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु गठित टीम ने त्वरित कार्यवाही करते हुए निजी सम्पर्क सूत्र विकसित कर सफल अनावरण करते हुए मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अपहृता को सकुशल बरामद कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी ।

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरणः-

1. **थानाध्यक्ष श्री जयप्रकाश दूबे थाना मोहाना सिद्धार्थनगर**
2. **उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र कुमार यादव चौकी प्रभारी शुद्धोधन थाना मोहाना सिद्धार्थनगर**
3. **हे0का0 राजमंगल यादव थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर**
4. **हे0का0 प्रमोद कुमार जायसवाल थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर**

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 28-09-2021

56 शीशी अवैध नेपाली शराब के साथ 02 महिला अभियुक्ता को मोहान पुलिस ने दबोचा-

श्री यशवीर सिंह , पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश पर एवं श्री सुरेश चन्द रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देश पर व श्री प्रदीप कुमार यादव क्षेत्राधिकारी सदर सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्री जय प्रकाश दूबे थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियो की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 28.09.2021 को थाना मोहाना पुलिस द्वारा 02 नफर महिला अभियुक्ता को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध क्रमशः मु0अ0सं0 -202/2021 धारा 63 आबकारी अधिनियम बनाम किलावती देवी पत्नी बेलास सा0असिधवा टोला मटेहना थाना मोहाना जिला सिद्धार्थनगर पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

मु0अ0सं0 -203/2021 धारा 63 आबकारी अधिनियम बनाम सुमन पत्नी स्व0 मिश्री लाल सा0पिपरहवा टोला ककरहवा थाना मोहाना जनपद सि0नगर पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

बरामदगी का विवरण:-

56 सीसी नेपाली शराब बरामद

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 श्री इशान्शु श्रीवास्तव चौकी प्रभारी ककरहवा थाना मोहाना सिद्धार्थनगर
2. का0 सुजीत सरोज थाना मोहाना सिद्धार्थनगर
3. म0का0 संजू यादव थाना मोहाना सिद्धार्थनगर
4. उ0नि0 श्यामलाल एसएसबी ककरहवा
5. मु0आ0 यादवेन्द्र सिंह एसएसबी ककरहवा
6. का0 राकेश कुमार एसएसबी ककरहवा
7. म0आ0 रेखा बरखड़े एसएसबी ककरहवा
8. म0आ0 संगीता एसएसबी ककरहवा

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 28-09-2021

डॉ0 यशवीर सिंह, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में "अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान" के अन्तर्गत श्री सुरेश चन्द रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में श्री राणा महेन्द्र प्रताप सिंह, पुलिस उपाधीक्षक शोहरतगढ़ के कुशल निर्देशन में अभियान के अन्तर्गत थाना शोहरतगढ़, जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा कृत कार्यवाही-

आज दिनांक 28.09.2021 को श्री राजेन्द्र बहादुर सिंह, प्रभारी निरीक्षक शोहरतगढ़ के नेतृत्व में का0 आदित्य यादव मय टीम द्वारा डोइया पुल से एक अभियुक्त को अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार कर थाना स्थानीय पर मु.अ.सं 229/21 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है -

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

असमत अली अन्सारी उर्फ ढेले पुत्र वारिश अली अन्सारी निवासी रमजान गली नगर पंचायत शोहरतगढ़ थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर

बरामदगी का विवरण–

एक अदद नाजायज चाकू

गिरफ्तार करने वाली टीम –

का0 सत्येन्द्र यादव थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर
का0 आदित्य यादव थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 28-09-2021

थाना कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस ने 01अभियुक्त को 20 शीशी नाजायज़ नेपाली शराब के साथ दबोचा

डॉ. यशवीर सिंह, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध व रोकथाम तस्करी के संबंध मे चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में व श्री प्रदीप कुमार यादव ,क्षेत्राधिकारी सदर, के कुशल निर्देशन व थानाध्यक्ष कपिलवस्तु ,श्री महेश सिंह के नेतृत्व में आज दि. 28.9.2021 को समय करीब 1845 बजे थाना कपिलवस्तु पुलिस द्वारा वहद ग्राम गौरी बन्धा मोड़ पास से 20 शीशी नाजायज़ नेपाली शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। उपर्युक्त संबंध मे थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 86/2021 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः -

1-ब्रहमानन्द विश्वकर्मा पुत्र पलटू राम थाना कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरणः-

1.उपनिरीक्षक श्री अवधेश कुमार सिह, प्रभारी चौकी बजहा थाना कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर।
2.का.रवींद्र यादव

वरामदगी का विवरण -

1- 20 शीशी नेपाली शराब नाजायज़।

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 28-09-2021

डुमरियागंज पुलिस द्वारा फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का किया गया पर्दाफाश।

जनपद सिद्धार्थनगर में वर्तमान समय में फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह के सम्बन्ध में डा० यशवीर सिंह पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में व श्री सुरेश चन्द्र रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में, श्री अजय कुमार श्रीवास्तव क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज के कुशल पर्यवेक्षण में थाना क्षेत्र डुमरियागंज की पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना आज दिनांक 28.09.2021 को मिलने पर प्रभारी निरीक्षक श्री शैलेश कुमार सिंह मय हमराह फोर्स व उ0नि0 श्री सुरेश यादव मय हमराह टीम के डुमरियागंज कस्बा वार्ड नं0 14 कृष्णा नगर में पहुंचे तो एक मकान के बरामदे में करीब 25-30 व्यक्ति अपने अपने हाथों में कागजात लेकर खड़े थे। पूछताछ से बताये कि साहब हम लोग आधार कार्ड बनवाने आये है। मौके पर एक व्यक्ति आधार कार्ड बनाने का उपकरण कम्प्यूटर, प्रिन्टर, स्कैनर, लैपटाई मुहर व अन्य उपकरण के साथ लोगो के पहचान पत्र व अन्य कागजात लेकर प्रिन्ट वाले मशीन में डालकर लोगो से बता रहा था कि आप का नाम पता मशीन में ऐड कर लिया गया है अब आप लोगो का आधार कार्ड 10 से 15 दिन में आपके घर पहुँच जायेगा। मौके पर आधार कार्ड बनाने वाले व्यक्ति से आधार कार्ड बनाने का लाइसेंस व वैध पत्र माँगा गया तो नहीं दिखा सका व उसके सहयोगी मौके से भाग गये। आधार कार्ड बनाने वाले एक व्यक्ति व आधार कार्ड बनाने से सम्बन्धित समस्त उपकरण को कब्जा पुलिस में लिया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना डुमरियागंज पर मु0अ0सं0 143/2021 धारा 419,420,467,468,471 IPC का अभियोग पंजीकृत किया गया है। इन गिरोह के द्वारा भोली भाँली जनता को गुमराह करके तीन से चार सौ रूपया प्रति व्यक्ति की दर से आधार कार्ड बनाने के नाम पर वसूली की जाती है। ऐसे गिरोह का थाना डुमरियागंज पुलिस द्वारा पर्दाफाश करके आज दिनांक 28.09.2021 को समय करीब 05.00 बजे डुमरियागंज पुलिस द्वारा बरामदगी व गिरफ्तारी की गई।

बरामदगी का विवरण

प्रिन्टर -01, मोबाइल फोन 02, लैपटाप-02, लैपटाप चार्जर- 05, माउस-01, डाटा केबल-01, प्रिंगर प्रिन्ट स्कैनर-02 आई स्कैनर-02, प्रिन्टर केबल-06, लाइट बोर्ड-02, बेव कैम -02, डाटा ट्रांसफर यू0एस0बी0-01, मोबाइल फोन चार्जर-02, मोहर प्रिंसपल PV इण्टर कालेज बेवा सिद्धार्थनगर, मोहर प्रिंसपल PV इण्टर कालेज भानपुर बस्ती, मोहर PV एसआर इण्टर कालेज बेवा सिद्धार्थनगर, स्टैम्प - 02, आधार कार्ड 01, यू0एस0बी0 एडाप्टर 01 व अन्य आईडी दस्तावेज - बरामदशुदा माल की कीमत लगभग 03 लाख रूपये।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम

मनोज कुमार s/o स्व0 प्रहलाद साकिन टड़वा थाना डुमरियागंज सिद्धार्थनगर।

वांछित अभियुक्त(मौके से भगे हुए)

01- अजय चौधरी पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम आइला थाना सोनहा जनपद बस्ती
02- उग्रसेन सिंह चौधरी पुत्र राधेश्याम चौधरी निवासी ग्राम टड़वा थाना डुमरियागंज सिद्धार्थनगर
03- संजय प्रताप गौतम पुत्र रामानन्द निवासी ग्राम टड़वा थाना डुमरियागंज सिद्धार्थनगर।

बरामदगी / गिरफ्तारी करने वाले पलिस टीम का विवरण

1. प्रभारी निरीक्षक श्री शैलेश कुमार सिंह मय हमराह टीम
2. नि0 श्री सुरेश यादव थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर।
3. HC राम सिंह थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर।
4. का0 मनोज कुमार थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर।
5. का0 राज गुप्ता थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर।
6. का0 संदीप यादव थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर।